# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

**(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्या 07/2015**

1. जहाँगीर पुत्र उमराव जाति गद्दी निवासी भगोरा तहसील वैर
2. चिनुआ पुत्र उमराव (मृतक)

2/1 जैनव वेवा चिनुआ
2/2 अन्नो खां } पुत्रियान चिनुआ
2/3 रनताहिर
2/4 ममताज } पुत्रियान चिनुआ
2/5 भूरी
2/6 सिताराबानो
2/7 मदीना

} जाति गद्दी निवासी भगोरा तहसील वैर जिला भरतुपर।

**........अपीलान्टान**

**बनाम**

1. फूलवती पत्नी हीरालाल पुत्री हरीराम जाति जाटव निवासी हरनगर वैदपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर

**........असल रेस्पोडेन्ट**

2. सरदार
3. बतूला
4. वभूती
5. मनुआ

} पुत्रान उमराव जाति गद्दी निवासी भगोरा तहसील वैर जिला भरतपुर।

6. कल्ला
7. मलुआ

} पुत्रान मुनीर पुत्र उमराव जाति गद्दी निवासी भगोरा तहसील वैर

**...........तरतीवी रैस्पो0**

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार वैर नामान्तरकरण संख्या 1682 दिनांक 23.03.2015 वाकै ग्राम भगोरा तहसील वैर।

उपस्थित :– 1. श्री मोहनसिंह राणा, अभिभाषक अपीलान्टान
2. रैस्पो0 अनु0

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

## निर्णय

दिनांक : 24.03.2021

अपीलान्टान ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश तहसीलदार वैर दिनांक 23.03.2015 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 1682 ग्राम भगोरा तहसील वैर उपखण्ड अधिकारी वैर के आदेश क्रमांक 213–214 दिनांक 24.02.2015 की पालना में फूलवती गैरखातेदार से खातेदार दर्ज करने की आज्ञा दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 1682 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 की तलबी की गई। रैस्पो0 अनु0। रैस्पो0 को कई बार आवाज लगवाई गई लेकिन वह उपस्थित नहीं आये। अतः वकील अपीलान्ट की एकतरफा में बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्टान ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल होने से काबिल मंसूखी है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1682 स्वीकृत किये जाने से पूर्व न तो अधीनस्थ न्यायालय एवं ग्राम पंचायत लखनपुर द्वारा कोई नोटिस अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नहीं दिया गया है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि ग्राम पंचायत लखनपुर के सरपंच द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 14.03.2015 के द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण को पुनः अपने आदेश के द्वारा यह माना गया है कि नामान्तरकरण संख्या 1682 का गलत फैसला हो गया है और सरपंच द्वारा पुनः पेश किया है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि आराजी खसरा नम्बर 357 रकवा 2 वीघा 14 विस्वा के हरीराम व पुत्री फूलवती के नाम राजस्व रिकार्ड में जो इन्द्राजात कायम किये गये है वह गलत है क्योकि अपीलान्ट व तरतीवी रैस्पो0 के पिता व बाबा उमराव खसरा नम्बर 357 रकवा 2 वीघा 14 विस्वा के हिस्सेदार थे जिनका कब्जा राजस्थान टीनैन्सी एक्ट व जमीदारी विस्वेदारी एक्ट के प्रभावशील होने के दिन आराजी पर काबिज थे व विरासतन यह आराजी अपीलान्ट व तरतीवी रैस्पो0 को प्राप्त हुई है। आराजी संवत 2023 में इस आराजी को राजस्व रिकार्ड में कस्टोडियन भूमि बिना किसी आदेश के गलत रूप से दर्ज किया गया है जबकि यह भूमि कभी कस्टोडियन भूमि नहीं रही है। इस

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

गलत इन्द्राज पर भरोसा करते हुये उपखण्ड अधिकारी वैर द्वारा असल रैस्पो0 के हक में गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिनांक 24.02.2015 को दिया है। उक्त आदेश की अपीलान्ट ने न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के यहां चुनौती देते हुये आदेश दिनांक 24.02.2015 के प्रभाव को दिनांक 26.05.2015 तक स्थगित किया गया है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय विधिवत कब्जे की जांच नहीं की है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि विवादित नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को उस समय हुई जब वह माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के द्वारा जारी स्थगन आदेश की प्रति तहसीलदार वैर को प्रस्तुत करने गया तब बताया कि उपखण्ड अधिकारी वैर के आदेश की पालना में नामान्तरकरण स्वीकार किया जा चुका है। अपीलान्ट को जानकारी होने पर आघात लगा और उसके अधिकारों पर कुठाराघात हुआ। अपील पेश करना आवश्यक है। अपील पेश करने की इजाजत के लिए धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2006 पेज 935 एवं आर.आर.टी. 2006 पेज 1282 उद्धरित की। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों पर गौर किया। नामान्तरकरण संख्या 1682 से फूलवती पुत्री हरीराम कौम जाटव गैरखातेदार से खातेदार दर्ज हुये है। नामान्तरकरण प्रति के कॉलम संख्या 14 में "श्रीमान् S.D.O. साहब वैर के आदेश क्रमांक 213–214 दिनांक 24.02.2015 श्रीमान् S.D.O. साहब वैर के आदेश क्रमांक TRA/2015/375 दिनांक 03.03.2015 की पालना में" दर्ज है। उक्त नामान्तरकरण दिनांक 08.03.2015 को दर्ज किया जाकर तहसीलदार वैर द्वारा दिनांक 23.03.2015 को स्वीकार किया गया है। वकील अपीलान्ट की प्रमुख आपत्तियां नामान्तरकरण दर्ज करते समय सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना, मौके पर कब्जे की जांच नहीं करना, जमीदारी विस्वेदार उन्मूलन अधिनियम लागू होने के समय से ही विवादित आराजी खसरा नम्बर 357 रकवा 2 वीघा 14 विस्वा पर काबिज होने एवं विवादित आराजी को गलत रूप से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

कस्टोडियन दर्ज करने को लेकर है। उक्त नामान्तरकरण को देखने से स्पष्ट है कि नामान्तरकरण सक्षम आदेश की पालना में भरा गया है। जहां तक अपीलान्ट को विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारम्भ से ही काबिज होने के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा का प्रश्न है तो अपीलान्ट को इसके सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिये। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद की प्रतियों से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर वैर के यहां जहॉगीर बनाम फूलवती वाद प्रस्तुत किया था जो न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया जिसकी अपील भी अपीलान्टान द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर को प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 12.05.2015 द्वारा विवादित आराजी को रहन वय मुंतकिल नहीं किये जाने का आदेश जारी किया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1682 फूलवती के गैरखातेदार से खातेदारी दर्ज करने का है जो स्थगन आदेश के पूर्व ही दिनांक 23.03.2015 स्वीकृत किया जा चुका है। जब कोई सक्षम आदेश नम्बरों के विभाजन पर अस्तित्व में नहीं है तो ऐसी स्थिति में समस्त विधिक वारिसान के नाम विवादित आराजी को दर्ज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई त्रुटि नही की है। जहां तक दर्ज नामान्तरकरण के सम्बन्ध में जांच किये जाने का प्रश्न है, प्रश्नगत नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी वैर के आदेश की पालना में भरा जाने के कारण जाचं का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः अपील काबिल खारिज पाई जाती है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिजी के रहती है।

**अतः आदेश है कि:—**

अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ नायव तहसीलदार कुम्हेर की पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को सुनाया गया।

**(बीना महावर)**
**अतिरिक्त जिला कलक्टर**
**भरतपुर (राज.)**